

राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर

एकलपीठ सिविल प्रथम अपील संख्या-638 / 2009

बाबुलाल
—: बनाम :—
मुकेश मूंदड़ा

आदेश दिनांक:—

15-11-2017

माननीय न्यायाधिपति श्री प्रकाश गुप्ता

उपस्थित—

अधिवक्ता वास्ते अपीलार्थी :- श्री हर्षद कपूर
अधिवक्ता वास्ते प्रत्यर्थी :- श्री जे.पी. गोयल, वरिष्ठ अधिवक्ता मय
श्री अभि गोयल, अधिवक्ता

यह अपील प्रार्थना पत्र संख्या-32984 अन्तर्गत आदेश 41 नियम 5 सी.पी.सी. जो कि अन्तःकालीन लाभ दिलाने के संबंध में प्रस्तुत किया गया है, पर आदेशार्थ प्रस्तुत हुयी है ।

प्रार्थना पत्र पर कुछ देर बहस करने के बाद योग्य वरिष्ठ अधिवक्ता श्री जे.पी.गोयल का निवेदन है कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 व 3 में जो तथ्य वर्णित किए गए हैं, उनसे संबंधित दस्तावेज भूल से प्रस्तुत करने से रह गए हैं । अतः वे दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु समय दिया जावे ।

योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थी उक्त दस्तावेज एक सप्ताह में प्रस्तुत कर सकेंगे । पत्रावली दिनांक 23.11.2017 को न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध की जावे ।

(न्या० प्रकाश गुप्ता)